

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 13/2022

पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कैलाश चन्द वैष्णव, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज
अधिनियम 1996

- उपस्थित :-
1. श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की आर से।
 2. श्री सीमान्त भारद्वाज व श्री सूरज पारीक, वकील अप्रार्थी की ओर से

-: आदेश :-

दिनांक-28.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं किग्राम पंचायत गनाहेड़ा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण द्वारा दिनांक 10.11.2021 को ग्राम गनाहेड़ा के आराजी खसरा नम्बर 1764 में से श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कैलाश चन्द वैष्णव, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर के पक्ष में 299.44 वर्गगज भूमि का नियमानुसार राशि प्राप्त कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा संख्या 19 अपने संकल्प संख्या 5 दिनांक 10.11.2021 के अनुसरण में जारी किया गया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किए गये विवादित भूमि के पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है। उनका कथन है कि ग्राम पंचायत गनाहेड़ा की आबादी भूमि जो कि चावण्डिया रोड़, सब्जी मण्डी के पास, खादी ग्रामोद्योग की जमीन से लगती हुई भूमि के भूखण्ड पर अप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा अतिक्रमण कर अस्थाई रूप से निवास करने के कारण अप्रार्थी के पिता के देहान्त पश्चात् उसके विधिक वारिसान को उसके पिता की पूर्व प्राप्त सहमति पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार डी0एल0सी0 रेट पर विक्रय कर पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी के पूर्वज श्री कैलाश चन्द की सहमति से ग्राम पंचायत की साधारण सभा



अपर कलक्टर
अजमेर

की बैठक दिनांक 10.11.2021 को प्रस्ताव संख्या 05 के अनुसरण में अप्रार्थी के आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 167(1) के अन्तर्गत डी0एल0सी0 दर पर विक्रय कर नियमानुसार पट्टा जारी करने का अनुमोदन किया गया। ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा ग्राम सभा की पूर्व बैठक दिनांक 07.09.2021 को प्रस्ताव संख्या 21 के अनुसरण में पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर पूर्ण सदभावनापूर्ण कार्यवाही कर विधि के प्रावधानों की पूर्णतः पालना की गई। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी के पारिवारिक विवाद के चलते उसके ही पारिवारिक रिश्तेदार द्वारा ग्राम पंचायत व राजस्थान सरकार के पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यालय में विवादित पट्टे की जांच करवाई तो ग्रामवासियों से अप्रार्थी के सम्बन्धी द्वारा ही अस्थाई रूप से वर्णित भूखण्ड पर अतिक्रमण किया जाना एवं परिवार में क्लेश व वाद विवाद चलने की जानकारी प्राप्त हुई। अप्रार्थी उक्त गांव में निवास नहीं करता है एवं गांव के बाहर उसका परिवार व्यवसाय व नौकरी करता है। फलस्वरूप निगरानीकार द्वारा तैयार शुदा पट्टे का अप्रार्थी को भौतिक कब्जा प्रदान किया जाना संभव नहीं था। साथ ही ग्रामीण भी पट्टाशुदा भूखण्ड से अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहे थे व जनमानस में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। पट्टाशुदा भूखण्ड पर शिकायतकर्ता श्री अशोक वैष्णव द्वारा अस्थाई रूप से अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश होने से नियमानुसार उक्त अस्थाई अतिक्रमण व कब्जा हटवाने की मांग की जा रही है। उन्होंने आगे कथन किया कि निगरानीकार को उक्त भूखण्ड के अवैध पट्टे के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई। अप्रार्थी का उक्त विवादित तैयारशुदा पट्टा जो कि निगरानीकार के कार्यालय में ही सुरक्षित था एवं भौतिक रूप से अप्रार्थी को भूखण्ड का पट्टा प्रदान नहीं किया गया था, जिसे कार्यालय में ही रोक कर रखा गया है, निरस्त किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अप्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड बाबत आवेदन पत्र में झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा बदनियति, दुर्भावना व विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही थी। इस कारण भी अवैध आक्षेपीय पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकार को उक्त भूखण्ड के पट्टे की नियमानुसार डी0एल0सी0 दर जमा होने के तथ्य की जानकारी हुई तो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.01.2022 को ग्राम सभा की बैठक आहूत कर प्रस्ताव संख्या 06 से पूर्व में अनुमोदित उक्त भूखण्ड के पट्टे को शीघ्र से शीघ्र निरस्त करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव पारित किया गया। अन्त में उन्होंने कथन किया कि उक्त अवैध पट्टे की मूल प्रति व भूखण्ड का कब्जा निगरानीकार द्वारा भौतिक रूप से प्रदान नहीं किया है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा अंकित कथन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अनुसार नहीं है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई सूचना नोटिस नहीं दिया गया एवं ना ही आक्षेपीय पट्टे के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अप्रार्थी को बताया गया। निगरानीकार द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कथन किया कि निगरानीकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि अप्रार्थी के पूर्वज/पिता के देहान्त के बाद उनके विधिक वारिसानों की पूर्ण सहमति पश्चात ग्राम पंचायत



अपर-कलेक्टर
अजमेर

द्वारा नियमानुसार डी0एल0सी0 दर पर विक्रय कर पूर्वजों की आधिपत्य व स्वामित्व की भूमि पर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी ने कमी कोई अतिक्रमण नहीं किया है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि निगरानीकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि अप्रार्थी के पूर्वज श्री कैलाश चंद के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नियमानुसार सहमति प्राप्त कर ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक दिनांक 10.11.2021 को प्रस्ताव संख्या 05 के अनुसरण में अप्रार्थी के आवेदन पर ही नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 167(1) के अन्तर्गत डी0एल0सी0 दर पर आक्षेपित पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे हेतु डी0एल0सी0 दर अनुसार राशि रुपये 1,67,790/- जरिये रसीद संख्या 90 दिनांक 29.11.2021 प्राप्त कर पट्टा जारी करने का अनुमोदन किया गया था, जो विधि अनुसार व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अनुसार पूर्णतया न्यायोचित है जो अप्रार्थी को पूर्ण स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जा प्रदान करता है। ग्राम पंचायत की साधारण सभा में पट्टे का अनुमोदन होने के पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती है। उनका आगे कथन है कि शिकायतकर्ता श्री अशोक वैष्णव आदतन शिकायती व्यक्ति है एवं वह अजमेर जिले के विभिन्न दीवानी न्यायालयों में भी महज परेशान करने की नीयत से मामले दायर करता रहता है, जिस पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आदेशित नहीं की गई है। साथ ही अपने अधिवक्तागणों से धमकी भरे नोटिस दिलवाकर मानसिक व शारीरिक रूपसे प्रताड़ित करता है। वह अप्रार्थी के परिवार से ईर्ष्या रखता है। उसके द्वारा पट्टा बनाने की सहमति पर हस्ताक्षर कर सहमति पत्र ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया था, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अप्रार्थी के पट्टे पर आपत्ति करना स्वतः ही विधि सम्मत नहीं है। वकील अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में पट्टे हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो नियम 145 के तहत क्रय के लिये आवेदन था एवं ग्राम पंचायत द्वारा कमेटी का गठन कर नियम 146 के तहत भूमि का निरीक्षण करवाया गया था। तत्पश्चात नियम 147 के तहत अन्तिम विनिश्चय किया जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार समस्त नियमों की पूर्ति करते हुए नियम 167(1) के अन्तर्गत आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो किसी प्रकार का कोई सूचना नोटिस जारी किया गया एवं ना ही आक्षेपीय पट्टे को निरस्त किये जाने बाबत की जा रही कार्यवाही की कोई जानकारी दी गई। अन्त में उन्होंने कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 167(1) के अन्तर्गत डी0एल0सी0 दर पर नियमानुसार अप्रार्थी के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा अप्रार्थी के आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 167(1) के अन्तर्गत डी0एल0सी0 दर पर विक्रय कर नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकट आये हैं कि उक्त पट्टे में वर्णित विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी के सम्बन्धी द्वारा ही अतिक्रमण किया हुआ है एवं अप्रार्थी उक्त ग्राम में निवास नहीं करता है व परिवार भी गांव के बाहर व्यवसाय व नौकरी करता है। इस कारण अप्रार्थी को भौतिक रूप से भूखण्ड का तैयार शुदा पट्टा व भूखण्ड का कब्जा प्रदान नहीं किया जा सका तथा तैयार शुदा पट्टे की मूल प्रति ग्राम पंचायत गनाहेड़ा के कार्यालय में ही रोक कर रखी गयी। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड




[Signature]
अपर कलक्टर
अजमेर

का पट्टा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर बदनीयति, दुर्भावना व विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राप्त करने की चेष्टा करने के तथ्य भी जाहिर हुए हैं। इसके मध्यनजर ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा दिनांक 06.01.2022 को ग्राम सभा की बैठक में आक्षेपित पट्टे को शीघ्रातिशीघ्र निरस्त करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(ज्योति ककवाणी)
अपर कलक्टर
अजमेर